न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 22 / 2024

प्रार्थीगण	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
1. प्रभूराम पुत्र श्री जोधाराम 2. टीकूराम पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी हरीनगर, ग्राम पंचायत सड़ा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. राज्य सरकार बजरिए तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री चिमनसिंह चौधरी प्रार्थीगण उपस्थित।
2. नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय)राज.पैरोकार विप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक– 24.07.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:59:34 IST
Reason: SelfAttested

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य [illegible] के खातेदारी खेत खसरा संख्या 361 / 351, 362 / 351, 363 / [illegible] 7.8744 हैक्टेयर मौजा हरीनगर, पटवार मण्डल सड़ा, तहसील सिणधरी मे अवस्थित है [illegible] मूल खसरा संख्या 351 [illegible] होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुए। वक्त विभाजन नवसृजित उपरोक्त खसरान की तरमीम मौके पर विद्यमान प्रार्थीगण के कब्जे काश्त अनुसार न होकर राजस्व कार्मिको की भूल से कब्जाकाश्त के विपरित लट्ठा ट्रेस मे कर दी गई जबकि मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त जिसमे प्रार्थीगण की

उपखण्ड अधिकारी

रहवासी ढाणीयां, टांके, चारबाडे आदि बने हुए है, राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम से विपरित स्थान पर है। अतः विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवानें हेतु यह आवेदन पेश किया गया है।

2 प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी की ओर से नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका जांच रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3.उभयपक्ष की बहस सुनी कि प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 361/351, 362/351, 363/351 रकबा क्रमशः 0.2831, 3.9371, 7.8744 हैक्टेयर मौजा हरीनगर, पटवार मण्डल सड़ा, तहसील सिणधरी में अवस्थित है, कि मूल खसरा संख्या 351 से विभक्त होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुए। वक्त विभाजन नवसृजित उपरोक्त खसरान की तरमीम मौके पर विद्यमान प्रार्थीगण के कब्जे काश्त अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जाकाश्त के विपरित लट्ठा ट्रेस मे कर दी गई जबकि मौके पर प्राथीगण का कब्जा काश्त जिसमें प्राथीगण की रहवासी ढाणीयां, टांके, चारबाडे आदि बने हुए है, राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम से विपरित स्थान पर है। अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 22.07.2024 में तरमीम दुरूस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लटढा नक्शा में तरमीम दुरूस्ती करवानें का आदेश फरमावें।

4.विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया,कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं मौका जांच रिर्पोट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 361/351, 362/351, 363/351 रकबा क्रमशः 0.2831, 3.9371, 7.8744 हैक्टेयर मौजा हरीनगर, पटवार मण्डल सड़ा, तहसील सिणधरी में अवस्थित है, कि मूल खसरा संख्या 351 से विभक्त होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुए। वक्त विभाजन नवसृजित उपरोक्त खसरान की तरमीम मौके पर विद्यमान प्रार्थीगण के कब्जे काश्त अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जाकाश्त के विपरित लट्ठा ट्रेस मे कर दी गई जबकि मौके पर प्राथीगण का कब्जा काश्त जिसमें प्राथीगण की रहवासी ढाणीयां, टांके, चारबाडे आदि बने हुए है, राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम से विपरित स्थान पर है। एवं तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत लटढा नक्शा में सड़क मार्ग की तरमीम हो रखी है,जो कि गलत तरमीम हो रखी है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 22.07.2024 से होती है,इस प्रकार प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त से विपरीत सड़क मार्ग की तरमीम होनें के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति भी हो रही है,जबकि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में सड़क मार्ग की

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:59:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

तरमीम होनी चाहिए। ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहें और तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिर्पोर्ट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम नहीं हो रखी है। जो प्रार्थीगण मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार सड़क मार्ग की रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्त करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 361/351, 362/351, 363/351 रकबा कमशः 0.2831, 3.9371, 7.8744 हैक्टेयर मौजा हरीनगर, पटवार मण्डल सड़ा, तहसील सिणधरी की भूमि मूल खसरा संख्या 351 से विभक्त होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुए। वक्त विभाजन नवसृजित उपरोक्त खसरान की तरमीम मौके पर सड़क मार्ग व विद्यमान प्रार्थीगण के कब्जे काश्त अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जाकाश्त के विपरित लट्ठा ट्रेस मे कर दी गई जबकि मौके पर प्राथीगण का कब्जा काश्त व सडक मार्ग के भूमि की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 22.07.2024 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश पारित किये जातें हैं,उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्ती सुनिश्चित करनें हेतु आदेशित किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 24.07.2024 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:59:34 IST
Reason: SelfAttested